न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/344/2015

वउनवान

1. नानगराम पुत्र चिम्मनलाल जाति चमार
2. जगदीश पुत्र चिम्मनलाल जाति चमार निवासीयान बार्ड सं0 9 कस्वा खेरलीगज तहसील कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. कजोडी पुत्र चिम्मन जाति चमार निवासी बार्ड सं0 9 कस्वा खेरलीगंज
2. सब रजिस्ट्रार कठूमर जिला अलवर – असल प्रतिवादीगण
3. रामावतार पुत्र जगन जाति धोवी निवासी भनोखर तहसील कठूमर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट : वकील वादीगण

श्री सुभाशचन्द शर्मा एडवोकेट –– वकील प्रतिवादी सं0 1

निर्णय

दिनांक 11.01.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 496 रकवा 1 वीघा 7 विस्वा 497 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा 499 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 एक ही परिवार के व्यक्ति है। वादीगण का पिता चिम्मनलाल था जिनके 2 औरतें थी। पहली औरत श्रीमति सोनी थी सोनी बहुत साल पूर्व फौत हो गई। जिस सोनी से एक लडका कजोडी पैदा हुआ। दूसरी औरत श्रीमति लाडबाई थी जो भी फौत हो गई जिस लाडबाई से तीन लडके नानगराम, जगदीश व रामप्रसाद पैदा हुये। रामप्रसाद अविवाहित फौत हो गया। इस प्रकार चिम्मनलाल के तीन लडके नानगराम, जगदीश वो कजोडी है। विवादित आराजी मृतक चिम्मनलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराज में प्रत्येक भाई का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा है तथा मुताविक हिस्सा चिम्मनलाल के मरने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वाद से वहैसियत खातेदार का तकार काश्त करते चले आ रहे है। चिम्मनलाल के मरने के वाद उसका विरासत इन्तकाल संख्या 907 वाके ग्राम खेरलीरेल खिलाफ कानून व खिलाफ मौका नियम विरूद्व तरीके से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 1/2 हिस्सा नानगराम, जगदीश, रामप्रसाद वो मु0 लाडबाई के नाम स्वीकार हो गया। जो इन्तकाल गलत व शून्य है। कानूनन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक चिम्मन का विरासत इन्तकाल उसके सभी वारिसान के नाम वहिस्से बराबर दर्ज होना चाहिए था यानि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा वो वादीगण के नाम 2/5 हिस्सा वो रामप्रसाद के नाम 1/5 हिस्सा व लाडबाई के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था तथा लाडबाई व रामप्रसाद के मरने के वाद वादीगण 2/3 हिस्सा वो प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा यानि वहिस्सा वराबर के खातेदार का तकार हो गये जिस कारण इन्तकाल संख्या 907 वाके ग्राम खेरलीरेल गलत है तथा वादीगण 2/3 हिस्सा की खातोरी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

वादी सं0 2 लाडबाई ने विवादित आराजी में से 1/8 हिस्सा वो 2/145 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.06.2001 को तरतीवी प्रतिवादी को वय कर दिया व तरतीवी प्रतिवादी के नाम वयनामें के आधार पर इन्तकाल हो गया। उसके वाद लाडबाई फौत हो गई जिस मु0 लाडबाई के भोश हिस्से पर वादीगण वो प्रतिवादी संख्या 1 वहिस्से बराबर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी प्रकार रामप्रसाद के मरने के वाद रामप्रसाद के 1/5 हिस्से को वादीगण वो प्रतिवादी सं0 1 वहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 5/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है भोश हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी का है। प्रतिवादी सं0 1–2 आपस में मिले हुये है जो गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है रहन वय करने की धमकी देते है। जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करन का कोई हक वो अधिकार नहीं हे यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा है जिस पर वादी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। चिम्मनलाल की फौतगी के वाद विरासत इन्तकाल प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सं0 1 के हक में 1/2 हिस्से का मुताविक मौका सही दर्ज वो तस्दीक हुआ है। चिम्मनलाल के जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं0 1 को आराजी उपरोक्त में से 1/2 हिस्से की आराजीयात संभला दी गई थी जिस पर प्रतिवादी तभी से लगातार काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा पूर्व में भी उक्त आराजीयात की वावत दावा वउनवान नानगा बनाम कजोडी मुकदमा नम्बर 1/33 सन् 1995 में न्यायालय सहायक कलक्ट्रर कठूमर के न्यायालय में पेश किया था जो वादी ने नोट प्रेस में दिनांक 05.10.1998 को खारिज करा लिया अव उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः दावा अदालत श्रीमान में पेश किया हैं चिम्मनलाल का विरासत इन्तकाल संख्या 907 मुताविक कानूनन व मौका सही है। दावा वादी मियाद वाहर होने से खारिज किया जावे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में इन्तकाल संख्या 907 जमाबन्दी संवत् 2058 व वयनामा दिनांक 11.06.2001 की सत्यपतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। वादीगण के दावा व प्रतिवादी सं0 1 के जवाव दाावा के आधार पर वाद में निम्न कुल 5 तनकियां कायम की गयीं।

1. आया आराजी खसरा नम्बर 496, 497, 493 वाके ग्राम खेरलीरेल चिम्मन की खातेदारी की आराजी थी जो वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1–3 को विरासत में प्राप्त हुई है ––वादी
2. आया चिम्मन की फौतगी के वाद विरासत इन्तकाल संख्या 907 ग्राम खेरलीरेल खिलाफ कानून दर्ज हुआ है जा निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण वहिस्से बराबर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है – वादी
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है – वादी
4. आया प्रतिवादी सं0 1 चिम्मन के जीवनकाल में ही 1/2 हिस्से पर काविज हो गया जिस कारण दावा काविले खारिज है – प्रतिवादी
5. आया वादीगण ने पूर्व में उक्त आराजी की वावत नानगा बनाम कजोडी के नाम से दावा पेश किया था जिसे वादीगण ने नोट प्रेस कर खारिज करवा लिया था दाावा रेसजुडिकेटा की तारीफ में आता है तथा काविले खारिज है – प्रतिवादी
6. दादरसी।

तनकी संख्या 1 को सावित करने का भार वादीगण पर है। चिम्मनलाल के फौत हो जाने पर विरासत का इन्तकाल सं0 907 वाके ग्राम खेरलीरेल वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा वादीगण लाडबाई व रामप्रसाद के नाम व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

का स्वीकार हुआ। जिस इन्तकाल को वादीगण ने अपने दावा में चैलेन्ज नहीं किया है। वादीगण ने अपनी ओर से दावा के समर्थन में अपने व अपने गवाहान के वयान लेखवद्व नहीं कराये। वादीगण ने अपने व गवाहान के वयान दर्ज कराने का अवसर देने के लिये एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र अदालत हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। यहां यह स्पश्ट किया जाना उचित होगा कि जव वादीगण ने अपने वयान ही हाजिर अदालत होकर लेखवद्व कराकर अपने दस्तावेज को ताइद नहीं कराया तो ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पत्रावती के साथ पेश दस्तावेजों को प्रकरण में साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी की ओर से अपने जवाव दावा की ताइद में स्वंय प्रतिवादी कजोडी व गवाह बच्चू व बादाम के वयान रेकार्ड कराये है। जिन्होंने विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी का कब्जा होना जाहिर किया है। वादीगण विना नामान्तकरण संख्या 907 को निरस्त कराये दावा में कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते। विवादित आराजी में चिम्मनलाल के हिस्सा की आराजी में 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी कजोडी का कब्जा प्रमाणित है। इस वजह से वादीगण विवादित आराजी में 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण इस तनकी को सावित करने में असफल रहे है। इस वजह से यह तनकी विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 को सावित करने का भार वादीगण पर है। चिम्मनलाल के फौत होने पर विरासत इन्तकाल संख्या 907 वाके ग्राम खेरलीरेल वादीगण लाडबाई व रामप्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी का स्वीकार हुआ है। जिस नामान्तकरण को वादीगण ने चुनौती नहीं दी है। नामान्तकरण को निरस्त कराये विना वादीगण विवादित आराजी में अपने नाम 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कराने का अधिकार नहीं रखते है। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड को अपने वयान कराकर ताइद नहीं कराया है इस वजह से यह तनकी भी विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 को सावित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1–2 विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादी निर्णीत की जा चुकी है। विवादित आराजी पर वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा पर कब्जा सावित है। राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सही है। वादीगण को किसी तरह का नुकशान व क्षति होना संभव नहीं है। वादीगण प्रतिवादी को पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखते है इस वजह से यह तनकी विरूद्व वादीगण वहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 को सावित करने का भार प्रतिवादी पर है। चिम्मन का विरासत इन्तकाल सं0 907 वादीगण लाडबाई व रामप्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्से का स्वीकार हुआ है। जिस नामान्तकरण को वादीगण ने अपने दावा में चैलेन्ज नहीं किया है। नामान्तकरण को निरस्त कराये विना वादीगण दावा हाजा में किसी तरह का अनुतोश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा पर कब्जा सावित है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 को सावित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादित आराजी वावत एक राजस्व वाद संख्या 1/132 सन् 1995 में नानगराम ने वउनवान नानगराम बनाम कजोडी वगैरा के नाम से अदातत में पेश किया था जो दावा नानगराम ने दिनांक 09.12.1995 को नोट प्रेस में खारिज करा लिया जिस दावा में वादी नानगराम द्वारा विनायदावी दिनांक 18.08.1995 इन्तकाल संख्या 907 की जानकारी होने की दर्ज की थी। इसके वाद पुनः दावा उन्हीं तथ्यों के आधार पर माह जनवरी 2004 में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया जिसमें विनायदावी दिनांक 23.1.2004 को पैदा होना अंकित किया है। विवादित आराजी वावत जव विनायदावी पहली वार दिनांक 18.08.1995 को पैदा हो गई तो अव पुनः इसी आराजी वावत दिनांक 23.01.2004 को पुनः वादकरण पैदा होना गैरकानूनी है। वादीगण को उक्त इन्तकाल की सन् 1995 से ही जानकारी है। इस वजह से यह तनकी वहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 दादरसी की है। तनकी संख्या 1 से 5 तक के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर चिम्मनलाल के फौतगी के वाद से ही प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्से पर कब्जा सावित पाया गया है। वादीगण ने इन्तकाल संख्या 907 वाके ग्राम खेरलीरेल को चेलेन्ज नहीं किया है और अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण ने अपने वयान दर्ज नहीं कराये और ना अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को ताइद कराया है ऐसा राजस्व रेकार्ड साक्ष्य में ग्राहय नहीं होता। वादी नानगराम ने विवादित आराजी वावत सन्

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1995 में दावा पेश कर नोट प्रेस में खारिज करा लिया है अव उन्हीं तथ्यों पर पुनः वादीगण को दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण अपने दावा को सावित करने में असफल रहे है। अतः वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 496, 497, 493 वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर वावत सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम कर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
11.1.21

आज दिनांक 11.01.2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
11.1.21

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 344 / 2015

वउनवान

1. नानगराम पुत्र चिम्मनलाल जाति चमार
2. जगदीश पुत्र चिम्मनलाल जाति चमार निवासीयान बार्ड सं0 9 कस्वा खेरलीगज तहसील कठूमर

------ डिक्रीदारान

बनाम

1. कजोडी पुत्र चिम्मन जाति चमार निवासी बार्ड सं0 9 कस्वा खेरलीगंज
2. सव रजिस्ट्रार कठूमर जिला अलवर – मदयूनान
3. रामावतार पुत्र जगन जाति धोवी निवासी भनोखर तहसील कठूमर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 496, 497, 493 वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर वावत सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 11.01.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)